

**न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज0)**

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/240

दिनांक :- 19.10.2023

राजस्व वाद सं. 298 /2023

GCMS No. 2023/ 496

उनवान प्रकरण :- मोतीलाल बनाम तहसीलदार

:- आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का चावण्डिया व भू.अ.नि. चितावा की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बेगपुरा	2	मोतीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 263/1332 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	मोतीलाल पुत्र बालाबक्स हिस्सा 263/1332 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार
2	चावण्डिया	225	मोतीलाल पुत्र बालूराम हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	मोतीलाल पुत्र बालाबक्स हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार


  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/241-243

दिनांक :- 19.10.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी मोतीलाल पुत्र बालाबक्स जाति ब्राह्मण सा. देह तह.कुचामन को सूचनार्थ

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

